"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2011—आश्विन 29, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (49).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (घ) में, शब्द एवं अंक "प्रारूप 17-क", के पश्चात् शब्द "दो प्रतियों में" अंत:स्थापित किया जाए.

2. नियम 36 के उप-नियम (7) में शब्द "विवरणी प्रस्तुत करेगा" के स्थान पर, शब्द "कर का भुगतान करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 46-क में, शब्द "वाणिज्यिक कर अधिकारी को" के पश्चात् शब्द "विवरणी के साथ" अंत:स्थापित किया जाए.

4. नियम 82 के उप-नियम (5) में शब्द "प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति" के स्थान पर, शब्द "प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. प्ररूप 10 के पैरा 2 के खण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(पन्द्रह) (क) कारोबार का स्थायी खाता संख्या (PAN) (विशेष तौर पर कंपनी, भागीदारी फर्म, सहकारी सोसायटी, एच.यू.एफ. एवं व्यक्तियों के संघ इत्यादि के लिए) ...."

6. विद्यमान प्ररूप 17-क के स्थान पर, निम्नलिखित नवीन प्ररूप 17-क प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रारूप 17-क
[नियम 20 (2) (घ)]

अभिस्वीकृति एवं सत्यापन प्ररूप

1. विवरणी पहचान संख्या ....
2. विवरणी ....
3. पुनरीक्षित विवरणी ....
4. टिन ....
5. व्यवसायी के कारोबार का नाम ....
6. व्यवसायी का नाम ....
7. पता ....
8. अधिनियम का प्रकार ....
9. अवधि ....
10. वित्तीय वर्ष ....
11. सकल विक्रय/क्रय राशि ....
12. प्रस्तुत करने की तिथि ....
13. चालान का विवरण —

स. क्र.	चालान क्र.	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा

14. संलग्न सूची :—
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

घोषणा

विवरणी पहचान क्रमांक .... के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही हैं.

स्थान ....
दिनांक ....

व्यवसायी का हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

प्राप्ति दिनांक, कार्यालय की मुद्रा

विवरण प्राप्त करने वाले कर्मचारी का
हस्ताक्षर, नाम/पदनाम"

यह संशोधन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (49), दिनांक 21-10-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st October 2011

NOTIFICATION

No. F-10/29/2011/CT/V(49).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (d) of sub-rule (2) of rule 20, after the word and figures "form-17A" the words "in two copies" shall be inserted.

2. In sub-rule (7) of rule 36, for the words "shall compulsorily submit return" the words "shall compulsorily pay tax" shall be substituted.

3. In rule 46-A, after the words "Commercial Tax Officer", the words "along with return" shall be substituted.

4. In sub-rule (5) of rule 82, for the words "penalty for not filing" the words "penalty for late filing" shall be substituted.

5. After clause (xv) of Para 2 of FORM 10, the following clause shall be added, namely :—
"(xv) (a) "PAN of the business (specially for Company, Partnership firm, Co-society, H.U.F. and Association of person etc.) ...."

6. For existing form 17-A, the following new form 17-A shall be substituted, namely :—

"Form 17-A
[See rule 20 (2) (d)]

Acknowledgment and Verification Form

1. Return Identification Number ....
2. Return ....
3. Revised Return ....
4. TIN ....
5. Dealer's Business Name ....
6. Dealer's Name ....
7. Address ....
8. Act type ....
9. Period ....
10. Financial Year ....

11. Gross Turnover ....

12. Submission dated ....

13. Challan details :—

S. No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch

14. Enclosure list :—

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

DECLARATION

The particulars given above against return Identification Number .... are true to the best of my knowledge and belief.

Place : .... Signature of Dealer ....

Dated : .... Designation ....

Date of receipt, Office Seal Signature, Name/Designation of employee, receiving return"

2. This amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.